भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 331
मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

†331. श्रीमती पूनमबेन माडम:

कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल :

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का पहला चरण जारी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सहकारी समितियों पर कोई राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यरत सहकारी समितियों की कुल संख्या और उनके संबंधित सदस्यों की संख्या कितनी है;

(घ) देश भर में सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की संबंधित संख्या का क्षेत्र-वार विवरण क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी के लिए कोई रणनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत तीन चरणों में एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र की विविध प्रकृति और आकार को ध्यान में रखते हुए, तीन चरणबद्ध तरीके से डेटा संग्रह करके डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया गया है ।

i. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-I: प्रथम चरण के तहत, तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग फरवरी, 2023 में पूरी की गई।
ii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण- II: द्वितीय चरण के तहत, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों की उनके सामान्य निकाय के सदस्यों के साथ मैपिंग पूरी की गई। इसके अलावा, राज्य संघों, जिला संघों और प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ राष्ट्रीय संघों को भी जोड़ा गया । राज्य सहकारी

बैंक (एसटीसीबी), जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), खेती बैंक (एससीएआरडीबी/ पीसीएआरडीबी, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), चीनी सहकारी मिलों, राज्य संघों, जिला संघों और बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित डेटा सीधे सहकारी समिति से या उनके राष्ट्रीय/राज्य संघों के माध्यम से एकत्र किए गए।

iii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-III: तृतीय चरण के तहत, सहकारिता मंत्रालय ने मई, 2023 में राज्य के राज्य सहकारित पंजियक (आरसीएस) कार्यालय के माध्यम से अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने वाली शेष 5 लाख से अधिक सहकारी समितियों तक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू की। केरल और मणिपुर को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के तहत (97%) डेटा प्रविष्टियाँ पूरी कर ली हैं।

(ग): 24.11.2023 तक, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में उल्लिखित सहकारी समितियों की कुल संख्या 7,94,866 जिससे 29,07,60,537 सदस्य जुड़े हैं जिसका विवरण अनुबंध 'ए' में रखा गया है।

(घ): सहकारी समितियों का सेक्टर-वार और उनके सदस्यों का विवरण अनुबंध 'ए' में दिया गया है।

(ड़): सरकार मल्टीस्टेट सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 के माध्यम से बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकलापों का कार्यान्वयन करती है। अधिनियम की धारा 77, 78, 108, 122, 123 के तहत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार निरीक्षण, पूछताछ, निर्देश आदि के माध्यम से बहुराज्य सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी करते हैं । राज्य सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार की जाती है । इसके अलावा, कुछ सहकारी समितियाँ जो बैंकों के रूप में कार्य कर रही हैं, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी विनियमित और मॉनिटर किया जाता है

*****